न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला-अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :- 03/23/2025 ऑन लाईन नम्बर 2025/152 प्रवेश तिथि:-16.06.2025

1. भगवान सहाय पुत्र श्रीनिवास उर्फ श्रीनारायण जाति ब्राहम्ण आयु 69 वर्ष निवासी ग्राम गोरखपुरा पोस्ट ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर।
2. लक्षमनराम पुत्र श्रीनिवास उर्फ श्रीनारायण जाति ब्राहम्ण आयु 63 वर्ष निवासी ग्राम गोरखपुरा पोस्ट ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर।
3. रमेश चन्द पुत्र श्रीनिवास उर्फ श्रीनारायण जाति ब्राहम्ण आयु 61 वर्ष निवासी ग्राम गोरखपुरा पोस्ट ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर।
4. प्रहलाद कुमार पुत्र श्रीनिवास उर्फ श्रीनारायण जाति ब्राहम्ण आयु 53 वर्ष निवासी ग्राम गोरखपुरा पोस्ट ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर। .... प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसीलदार राजगढ जिला अलवर .... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. श्री जितेन्द्र सैनी एड0 प्रार्थी

दिनांक 22/08/2024

--:निर्णय:--

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू-राजस्व अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की हाल आराजी खाता संख्या 55 खसरा नम्बर 124/217/0.08, 125/0.70, 126/0.08, 127/0.03, 185/0.10, 187/0.55, 198/1.35, 201/0.71, 204/2.30 कुल किता 9 रकबा 6.62 है0 वाके ग्राम गोरखपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम श्रीनिवास उर्फ श्रीनारायण के स्थान संहवन से श्रीनिवास दर्ज कर दिया। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पिता का सही नाम श्रीनिवास उर्फ श्रीनारायण दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजगढ जिला अवलर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार राजगढ जिला अलवर के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2025/1374 दिनांक 30.07.2025 की मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जोकि शामिल पत्रावली है। तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट एवं प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार हाल रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता का नाम श्रीनिवास उर्फ श्रीनारायण की जगह सहवन से श्रीनिवास दर्ज कर रखा है।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला-अलवर

तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट के अनुसार **श्रीनिवास उर्फ श्रीनारायण व श्रीनिवास** एक ही व्यक्ति है। गलत नाम **श्रीनिवास** के स्थान पर प्रार्थीगण के पिता नाम **श्रीनिवास उर्फ श्रीनारायण** दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौरान—ए—बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खाता संख्या 55 खसरा नम्बर 124 / 217 / 0.08, 125 / 0.70, 126 / 0.08, 127 / 0.03, 185 / 0.10, 187 / 0.55, 198 / 1.35, 201 / 0.71, 204 / 2.30 कुल किता 9 रकबा 6.62 है0 वाके ग्राम गोरखपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम **प्रार्थीगण के पिता का नाम श्रीनिवास उर्फ श्रीनारायण की जगह** सहवन से **श्रीनिवास** दर्ज कर दिया। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पिता का सही नाम **श्रीनिवास उर्फ श्रीनारायण** दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र की पुष्टि में उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यो के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 हाल आराजी खाता संख्या 55 खसरा नम्बर 124/217/0.08, 125/0.70, 126/0.08, 127/0.03, 185/0.10, 187/0.55, 198/1.35, 201/0.71, 204/2.30 कुल किता 9 रकबा 6.62 है0 वाके ग्राम गोरखपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है कि वो उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम श्रीनिवास दर्ज है उसके स्थान पर श्रीनिवास उर्फ श्रीनारायण दुरूस्त किया जावें तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे। तहसीलदार राजगढ को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर